

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या : 973/9-आ-1-2000
लखनऊ दिनांक : फरवरी 28, 2000

कार्यालय ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास तथा रखरखाव के कार्यों की समीक्षा एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हैं :-

- | | |
|---|-------|
| (i) सचिव आवास | सदस्य |
| (ii) सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन | सदस्य |
| (iii) सचिव, नगर विकास | सदस्य |
| (iv) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| (v) निदेशक, स्थानीय निकाय | सदस्य |
| (vi) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम | सदस्य |
| (vii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| (viii) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ | सदस्य |
| (ix) उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |

क्रमांक (i) ए (ii) व (iii) पर वरिष्ठतम अधिकारी टास्क फोर्स का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर के विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें निर्धारित करना एवं उनकी समीक्षा तथा दिशा निर्देश।
2. विकास प्राधिकरणों तथा नगर निगमों में नगरीय अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा एवं दिशा निर्देश।
3. सूडा के अवस्थापना सुविधा मद में उपलब्ध तथा स्टेट फाइनेन्स कमीशन से उपलब्ध धन की नगरीय अवस्थापना सुविधा से प्रस्तावित कार्यों के साथ डवटेलिंग।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं उनकी समीक्षा एवं दिशा निर्देशन।
5. अन्य प्रदेशों के अच्छे कार्यक्रमों एवं नीतियों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था।
6. अवस्थापना सुविधा मद से सम्बन्धित कार्य के क्रियान्वयन हेतु विशेष की राय तथा उन्हें बैठकों में बुलवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-973(1)/9-आ-1-2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, आवास प्राधिकरण (नगर निगमों वाले क्षेत्र)
3. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।